	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	107/14 T.I. गुलाब - मनफूल वगैरा	
26	वकील उभयपक्ष उप/। अप्रार्थी सं 2 बावजूद सूचना हाजिर आना नहीं है। अ। अप्रार्थी सं. 2 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की जाती है। बाबत बहस T.I. पत्रा. दि० 27/3/26 को पेश हो।	
	27/3/26 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं। श्रीमान पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर हैं/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20/4/26 को पेश हो।	
	20/4/26 वकील उभयपक्ष उप०। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बाबत निर्णय पत्रा. दि० 27/4/26 को पेश हो।	
	27-4-26 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थीगण ख.नं. 1075 रकबा 0.03 है० एवं ख.नं. 1076 रकबा 0.01 है० ग्राम मिर्जापुर के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा चाहते हैं। इस सम्बन्ध में राजस्व अभिलेख नकल नमावंदी संवत 2073-76 ग्राम मिर्जापुर खास सं. 359 के अवलोकन से विदित है कि ख.नं. 1075 रकबा 0.03 है० गैरमुमकिन आबादी के रूप में नगर परिषद गंगापुर सिटी के नामदर्ज चली आ रही है। ख.नं. 1076 रकबा 0.01 है० गैर मुमकिन नाला है। इसके सम्बन्ध में T.I. प्रा-पत्र में कोई आदेशात्मक जानना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थीगण का T.I. प्रा-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार बोर्ड रजिस्टर से कमी की जावे। पक्षकार अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।	
	उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी (राज०)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:08:04 IST
Reason: SelfAttested